



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54717

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2532/2026

वाजिद

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

सुदर्शन सिंह, विवेक सहगल

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री बीपी सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 40/2026 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 324(4), 121(1), 131, 3(5) और खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत, थाना बहेड़ी, जिला बरेली में दर्ज है। इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस घटना में 39 अज्ञात और 5 नामजद व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि, इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। आगे यह भी बताया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कई ट्रक अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपने वाहन पुलिस अधिकारियों पर चढ़ाने की कोशिश की। अपीलार्थी आगे यह वचन देता है कि वह मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, अपीलार्थी की भूमिका और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कथित घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अपीलार्थी **वाजिद** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेगा;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

वंदना